समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क /2017 पुनर्विलोकन

II/पुनर्विलोकन/सतना/भू.रा.0/2017/1607

1. प्रेमलाल तनय मंहगी लाल
2. अर्जुन सिंह तनय मंहगी लाल
3. त्रियुगी तनय मंहगी लाल
4. तेजवली तनय मंहगी लाल समस्त निवासीगण ग्प्रम हरदोखर तहसील उचेहरा जिला सतना म.प्र.।
5. प्रभा पुत्री मंहगी लाल पत्नी बंसतलाल निवासी ग्प्रम हरदोखर तहसील उचेहरा जिला सतना म.प्र.।
6. राघवेन्द्र सिंह ईश्वरदीन सिह
7. प्रभाकर सिंह
8. अंमित
9. गरिमा
10. लबली सभी के पिता राघवेन्द्र सिंह अनावेदकगण 8,9 नावालिकग बली सरपरस्त पिता राघवेन्द्र सिह निवासी कोठी जिला सतना म.प्र. ।

.........आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती कान्ती सिंह पत्नी घनश्याम सिह बरगाही निवासी ग्प्रम हरदोखर तहसील उचेहरा जिला सतना म.प्र. ।

.......................मूल अनावेदक

घनश्याम सिह तनय मंहगी लाल बरगाही निवासी ग्प्रम हरदोखर तहसील उचेहरा जिला सतना म.प्र.

..........फोरमल पक्षकार

श्री सुनील सिंह कुशवाह द्वारा आज दि. 2/6/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत म.प्र. भू–राजस्व सहिता , 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी 2940/दो /2016 मे पारित आदेश दिनांक 2.5.2017 को पुर्नविलोकन किये जाने वावत ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो/पुर्नावलोकन/सतना/भू.रा/2017/1607

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
20-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 2940–दो/2016 में पारित आदेश दिनांक 2.5.17 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक दो/पुर्नावलोकन/सतना/भू.रा/2017/1607 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 2940–दो/2016 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 2.5.16 से किया जा चुका है। 4–प्रकरण क्रमांक दो/पुर्नावलोकन/सतना/भू.रा/2017/1607 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं।	

प्रकरण कमांक दो/पुर्नावलोकन/सतना/भू.रा/2017/1607 उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य